फोटो स्टेट सत्यप्रतिलिपि

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,जनपद :मुरादाबाद,तहसील :बिलारी
वाद संख्या :-00358/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201913540200358
बिलारी ऐजूकेशन ट्रस्ट द्वारा पत्रन्धक संजीव कुमार बनाम उ0प्र0सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही बिलारी ऐजूकेशन ट्रस्ट ग्राम बिचौला ढूकी द्वारा प्रबन्धक श्री संजीक कुमार पुत्र राज बहादुर निवासी ग्राम बिचौला ढूकी तहसील बिलारी जनपद मुरादाबाद के प्रर्थाना पत्र दिनांक 26.12.2018 पर प्रारम्भ हुई। जिसमें कहा गया है कि प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम बिचौला ढूकी खाता सं0 83 गाटा सं0 358 रकबा 1.708हे0 में से 1.138हे0 लगान 60.95 रू0 के संक्रमणीय भूमिधर व काश्तकार है। उक्त गाटा नम्बर में कृषि से सम्बन्धित कोई कार्य नही होता है। तथा मौके पर शिक्षण संस्था के रूप में प्रयोग में लायी जा रही है। उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में कृषि से अकृषिक भूमि घोषित कर दिया जायें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार बिलारी से नियत प्रारूप पर जांच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार बिलारी के द्वारा नियत प्रारूप पर अपनी आख्या दिनांक 22.01.2019 प्रेषित की गयी है। जिसमें कहा गया कि ग्राम बिचौला ढूकी खाता सं0 83 गाटा सं0 358 रकबा 1.708हे0 में से 1.138हे0 लगान 60.95 रू0 को अकृषिक के सम्बन्ध में कोई मत्स्य पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन व बागवानी का कार्य नही हो रहा है। मौके पर शिक्षण संस्थान बना है और शिक्षण संस्था के ही रूप में प्रयोग की जा रही है। तथा भूमि पूर्णतः अकृषिक है। उक्त भूमि को कृषि भूमि से अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। तथा सहखातेदारों ने शपथ पत्र देकर उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित करने की सहमति प्रकट की है।

प्रस्तावित भूमि का मूल्यांकन जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित दरों से कुल मूल्य का एक प्रतिशत 30200 रू0 राजकोष में जमा करा दिया गया है, तथा कुल मूल्य का 1 प्रतिशत 30200 रूपयें कोर्ट फीस स्टाम्प भी जमा कर लिया गया है। अतः उक्त भूमि को कृषि भूमि से अकृषिक भूमि घोषित किया जाने की संस्तुति की गयी है।

मैंरे द्वारा पत्रावली का एंव तहसीलदार बिलारी की आख्या दिनांक 22.01.2019 का तथा उदरण खतौनी व विक्रय पत्र व स्थल के फोटो ग्राफ का भलीभांति अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उपरोक्त भूमि का न्यायहित मे कृषि भूमि से अकृषिक भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः ग्राम बिचौला ढूकी खाता सं0 83 गाटा सं0 358 रकबा 1.708हे0 में से 1.138हे0 लगान 60.95 रू0 को कृषि भूमि से अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है तदानुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक बिलारी को अनुपालन हेतु भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक— 2[illegible]-1-2019

नकल प्रा0 पत्र सं0 ...172...
प्रार्थना पत्र की तिथि ...[illegible]-2-19
प्रार्थी का नाम ...[illegible]
टिकट की ...[illegible]
शब्द की संख्या ...[illegible]
नोटिस की तिथि ...[illegible]-19
जारी करने की तिथि ...[illegible]-19

उप जिलाधिकारी
बिलारी